न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 07/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00007)

1. ओमप्रकाश
2. पूराराम

पुत्रगण श्री मनीराम जाति ब्राहम्मण निवासी राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. भागीरथ पुत्र स्व. श्री मनीराम जाति ब्राहम्मण निवासी राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर जिला चूरू (फौत)
   1/1 श्रीमती लोकी पत्नी
   1/2 राधा पुत्री स्व. भागीरथ, नाबालिग जरिये प्राकतिक सरक्षक माता श्रीमती लोकी।

   स्व. श्री मनीराम जाति ब्राहम्मण निवासी राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. सीताराम
3. मुकेश

   पुत्रगण स्व. श्री मनीराम जाति ब्राहम्मण निवासी राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री धीरेन्द्र सिह भदौरिया – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री आनन्द बजाज –अभिभाषक रेस्पोडेन्टसं. 1/1, 1/2, 2, 3
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 07.06.2022

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सरादारशहर के निर्णय दिनांक 26.03.2012 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट भागीरथ पुत्र स्व.मनीराम ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर में प्रार्थना पत्र पेश कर रजिस्टर्ड वसीयत के आधार नामान्तकरण दर्ज करवाने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार सरदारशहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.03.2012 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्व.मनीराम द्वारा वसीयत को अंतिम वसीयत होने एव स्व. अर्जित सम्पति होने तथा गवाहो की पृष्टि के आधार पर वसीयतनामे के

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट की पैतृक भूमि वाके ग्राम राणासर पंवारान में खेत खं. नं. 737/203 में 35 बीधा व खं. नं. 225 में 43 बीधा, खं. नं. 473 में 27.10 बीधा इस प्रकार कुल 105.10 बीधा भूमि खातेदारी की पिता. स्व. मनीराम के नाम से थी जो यह पूर्व में दादा हेतराम के नाम से जमीन रही थी। उक्त भूमि मे से खं. नं. 473, 737/203 की कुल 62.10 बीधा भूमि फर्जी तरीके से अपीलांटान के पिता स्व. मनीराम की मानसिक स्थिति खराब होने का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट ने बैय करवा दी। शेष रही 43 बीधा भूमि अपीलान्टान अपने भाई बटवारे अनुसार काबिज चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट ने उक्त पैतृक भूमि की तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 12.07.2011 को पंजीबद्व करा लिया जो धोखाधड़ी, कूटरचित तौर पर तैयार करवाया गया एवं उसके गवाह के तौर पर पूर्व मे बैय की हुई भूमि की खरीददार गवाह के तौर पर बने हुए है जो अपने आप में संदिग्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने केवल अपीलान्ट के वकील की उपस्थिति बताकर किया है। अपीलान्ट के पिता स्व. मनीराम को जब अपनी बैय हुई भूमि की जानकारी मिली तो काफी नाराज हुए और सभी मौजिज रिश्तेदारो को इकट्ठा कर पंचायत की, पंचायत में बात तैय हुई। पारिवारिक समझोता हुआ और तमाम बाते लिखकर दी थी। बाद में अपनी बाते से मुकर गये तो एफ.आई.आर पुलिस थाना भानीपुरा मे दर्ज हुई थी जिस पर प्रोटेस्ट की कार्यवाही न्यायालय में जैरकार है, इस कारण वसीसत संदिग्ध हो चुकी थी। ऐसी स्थति में अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज नही करना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार सरदारशहर के आदेश दिनांक 26.03.2012 को निरस्त किया जावे तथा विरासतन इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1/1, 1/2, 2, 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने अपील मीमो मे मुददे की बात नही लिख कर केवल भावानात्मक बाते लिखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्ट्र्ड वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया है। पंजीकृत वसीयत को अपीलान्ट फर्जी नही कह सकते है। रजिस्ट्र्ड वसीयत को रेवन्यु कोर्ट निरस्त नही कर सकता है। अपीलान्ट ने वसीयत को शून्य प्रभावी संबधी एव दावा धोषणात्मक जिला न्यायाधीश चूरू में कर रखा है। जहा पर वसीयत की जांच हो जायेगी, दावे के अनुसार वेधानिकता तय होनी है। इसके अलावा अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि मुझे सुना नही गया एक तरफा तौर पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2016 पेज 280, RRD 2002 पेज 280, RRD 2010 पेज 557, RRD 2010 पेज 352, RRD 1973 पेज 326, RRD 1973 पेज 419, RRD 1973 पेज 13, RRT 2006 (1) पेज 633, RLW 2012 (1) पेज 318, CCC 2021 (1) पेज 85 MP, All. H.C. COURT N. 13751/2005 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वसीयत दिनांक 12.07.2011 के आधार पर तहसीलदार सरदारशहर ने नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 26.03.2012 को पारित किया है। वसीयतकर्त्ता की मृत्यु के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. दर्ज हुई। जिसमें रेस्पोडेन्ट मुलजिमान है। उक्त प्रकरण में प्रोटेस्ट पीटीशन भी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि स्व. मनीराम के वारिसान को सुनवाई हेतु व्यक्तिगत नोटिस जारी किए गए। जबकि स्व.मनीराम के अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स के अतिरिक्त वारिसान भी है। जिनमें निराणी देवी, गोदावरी, ओमप्रकाश, पुराराम, फूसी, सीताराम, भागीरथ,गोमती, मुकेश, है परन्तु श्रीमती नारायणी,गोदावरी, फूसी, भागीरथ, गोमती,मुकेश सभी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के नोटिस रेस्पोडेन्ट सं. 2 सीताराम पर तामिल करवाये गये है जिनके बारे में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई संज्ञान ही नही लिया। इन्हे व्यक्तिगत तामिल नही करवाया गया बल्कि हितबद्व पक्षकार रेस्पोडेन्ट सं. 2 पर तामिल पुरी प्रक्रिया को ही कानूनन दुषित कर देती है अर्थात शेष रेस्पोडेन्ट वारिसान को सुनवाई हेतु अवसर ही नही मिला है। एक तरह से यह कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने तामिल के विषय पर पर गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। जिसके लिए उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण अलग से जिला कलक्टर महोदय के संज्ञान में लाया जाये। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति भी नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.03.2012 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सरदारशहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षों को सुनवाई कर मनीराम की मृत्यु के सम्बन्ध में हुई एफ.आई.आर. की कार्यवाही को ध्यान रखते हुए निर्णय पारित करें।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एन्व.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर